द्वारा सेवित क्षेत्र में 224 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर हैं।

(ख) और (ग) ओखला गांव और उसके निकटतम पड़ौसी गांवों में 5 सार्वजनिक टेलीफोन घर कार्यरत हैं जो फिलहाल पर्याप्त है। इस क्षेत्र में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शीघ्र ही दो और सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने का प्रस्ताव है।

फ्रेंचाइज योजना के अंतर्गत स्थानीय, एस टी डी/आई एस डी युक्त सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने की नीति को उदार बनाया गया है। इनके लिए प्राप्त आवेदन-पत्र, तकनीकी व्यवहार्यता और विभागीय औपचारिकताओं की पूर्ति के अध्यधीन उदारता से मंजूर किए जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्ट

*218. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्टों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन ओवरड्राफ्टों की वसूली के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शान्ता राम पोट वुखे :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्यों के ओवरड्राफ्ट के बारे में नवीनतम उपलब्ध सूचना निम्नानुसार है :–

(करोड़ रु० में)

राज्य	9-5-1992 की स्थिति के अनुसार ओवरड्राफ्ट की राशि
1. असम	22.49 (तीसरे दिन)
2. गुजरात	126.23 (छठे दिन)
3. हिमाचल प्रदेश	15.42 (पांचवें दिन)
4. केरल	98.79 (पांचवें दिन)
5. मध्य प्रदेश	108.97 (पांचवें दिन)
6. मणिपुर	2.87 (दूसरे दिन)
7. मिजोरम	0.53 (पहले दिन)
8. उड़ीसा	9.68 (दूसरे दिन)
9 त्रिपुरा	12.12 (छठे दिन)
10 पश्चिम बंगाल	3.68 (दूसरे दिन)

(ख) और (ग) यह राज्य सरकारों का काम है कि वे ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम में निर्धारित किए गए अनुसार अपने ओवरड्राफ्ट सात क्रमिक कार्य दिवसों की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने हेतु कदम उठाएं।

भारत में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए विदेशी संस्थानों को सहायता

*219. **सरदार जगजीत सिंह अरीड़ा :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या विद्युत और गैर-पारस्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी संस्थानों को देश की विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए भारतीय वित्तीय संस्थाओं से 40 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी;

(ख) क्या यह सुविधा दिए जाने की मांग कुछ विदेशी संस्थानों ने की थी;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ विदेशी संस्थानों को यह सुविधा दे कर विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का दायित्व दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ये संस्थान कौन-कौन से हैं और उनको निर्माण के लिए सौंपी गई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Allotment of Space in Foreign Fairs

*220. SHRI SANTOSH BAGRODIA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the Trade Associations and Chamber of Commerce which are already having allotted space in foreign fairs will continue to be allowed collective participation of its members in view of their better contacts with their counterpart associations abroad and whose members are the real importers or promoters of the Indian goods ;

(b) whether they have to get clearance from EPC/Boards to obtain foreign exchange clearance from the RBI ; and

(c) whether they can apply directly to RBI for total exchange clearance for the collective participation to reduce the total cost of participation for individual companies and to reduce outflow of foreign exchange from the country ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) : (a) Collective participation in fairs abroad by members of Trade Associations is allowed where no official agency like India Trade Promotion Organisation (ITPO) etc. is organising any national level participation.

(b) and (c) As per Reserve Bank of India's latest guidelines, any blanket permit holder intending to participate in fairs/exhibitions abroad may approach the RBI directly for release of foreign exchange in accordance with their procedure. Any participant other than blanket permit holder whose participation expenditure per event is more than Rs. 2.00 lakhs, will have to approach India Trade Promotion Organisation (erstwhile TFAI) for their clearance before approaching Reserve Banking of India.

Litigation Cases of Air India and its Employees

1670. SHRI ASHOK NATH VERMA : Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question 72 given in the Rajya Sabha on 28th April, 1992 and state :

(a) what are the details of litigation cases involving the Air India and its employees at present being contested by the Air India in the Bombay courts ;

(b) the estimated expenditure incurred by the Air India thereon so far ; and

(c) whether the Air India takes upon itself to incur expenditure on defending its ex-employees involved in the litigation also, if so, the reasons for carrying such burden in the context of the present day financial crunch ?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAVRAO SCINDIA) : (a) The following cases are being contested by Air India in the Bombay Courts/Tribunals :—

(i) Writ petitions pending in Bombay High Court—39.